कार्यालय प्राचार्य राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

(महाविद्यालय कोड 2902)

web site – www.govtcollegelormi.in Email Id – rggcollegelormi@gmail.com

क्रं 435/स्था/2026 लोरमी, दि. 21.8.26

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB/230662/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR नवा रायपुर दिनांक 17.07.2026 के अनुसार राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में विषय अर्थशास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख – रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा – अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यार्थियों के अंक समान होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
1	अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक 01

टीप :– संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

PRINCIPAL
Rajiv Gandhi Govt. Arts & Comm. Collage
LORMI, Distt. Mungeli (C.G.)

क्रमशः 2

(2)

शर्ते :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी., 12वीं., स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 31.08.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान मे आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
3. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 03.09.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
4. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 05.09.2026 तक होगी।
5. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08.09.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
6. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत /कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
7. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
8. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
9. **मानदेय :-**

   अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :-

   - अतिथि व्याख्याता मानदेय - 2000/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50000/-)
   - अतिथि शिक्षण सहायक - 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35000/-)

PRINCIPAL
Rajiv Gandhi Govt. Arts & Comm. Collage
LORMI, Distt. Mungeli (C.G.)

क्रमशः 3

10. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी जिला – मुंगेली (छ.ग.) एवं आवेदित पद अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक, विषय अर्थशास्त्र आवश्यक रूप से लिखे।
11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्थ किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक – सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक – सेवक नहीं कहलायेंगे।
12. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
13. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. कक्षाओं के संचालन के साथ – साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
15. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होगी है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. एन.के. ध्रुर्वे)

PRINCIPAL
Rajiv Gandhi Govt. Arts & Comm. Collage
LORMI, Distt. Mungeli (C.G.)